कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उपाय

आज चारों ओर विभिन्न संस्थाओं द्वारा यह आवाज उठाई जा रही है कि देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकना आवश्यक है, परन्तु इसके रोकने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए, वे सब आधे-अधूरे हैं। सामाजिक संगठनों को इस विषय पर नारे लगाना तो अच्छा लगता है, रैली निकालना उससे भी अच्छा लगता है, पर इस दिशा में कोई ठोस कार्य करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। पत्र-पत्रिका और इलेक्ट्रोनिक मीडिया भी इस विषय को उछालते रहते हैं, परन्तु कोई ठोस पहल नहीं कर रहा है। इसीलिए सामाजिक संस्थाओं को क्या करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करना बहुत अधिक आवश्यक है।

1. विभिन्न शहरों में चलने वाले अवैध, अनरजिस्टर्ड सोनोग्राफी सेन्टरों का पता लगाकर राज्य सरकार को सूचित करना :-

पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट की धारा 6(2) के अनुसार रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

इस कानून के लागू होने से पूर्व आसानी से कोई भी सोनोग्राफी मशीन खरीद सकता था। उन दिनों में खरीदी गई मशीनों से आज भी कई छोटे-छोटे केन्द्रों पर गैर-कानूनी तरीके से सोनोग्राफी हो रही है। ऐसे केन्द्रों का पता लगाकर उनकी जानकारी राज्य सरकार को देकर ऐसी मशीनों को जब्त करवाने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

2. एम.टी.पी. एक्ट के अनुसार, जो स्थान अनुमोदित नहीं है, वहाँ पर गैर-कानूनी तरीके से गर्भ समापन और भ्रूण हत्या होना :-

एम.टी.पी एक्ट की धारा 4 और रूल्स 5 के अनुसार जिस स्थान पर एम.टी.पी. की जा सकती है, उस स्थान का सी.एम.एच.ओ. द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है। अनुमोदन का प्रमाण-पत्र उस स्थान पर सहजदृश्य रूप में प्रदर्शित करना भी अनिवार्य है।

इस हेतु सभी छोटे-छोटे अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक पर गैर-कानूनी तरीके से हो रही भ्रूण हत्या रोकने हेतु ऐसे स्थान जो अनुमोदित नहीं हैं, उनकी जानकारी राज्य सरकार को देनी चाहिए।

3. पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट में सजा का प्रावधान और आर्थिक दण्ड का प्रचार करना :-

इस एक्ट में 14 फरवरी, 2003 से यह प्रावधान किया गया है कि प्रथम अपराध सिद्ध होने पर डॉक्टर पर 10,000 रुपए का आर्थिक दण्ड है, जबकि जनता पर यही दण्ड 50,000 रुपए अर्थात् 5 गुना है। इसी तरह से दूसरी बार अपराध सिद्ध होने पर डॉक्टर पर आर्थिक दण्ड की रकम 50,000 रुपए है, तो जनता पर 1,00,000 रुपए (दुगुनी) है, क्योंकि जनता ही तो डॉक्टर के पास आती है और डॉक्टर पर तरह-तरह के अनुचित दबाव डालकर उनका इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके अपना मतलब निकालती है।

सामाजिक संगठन इस सजा के प्रावधान को जनता में प्रचारित और प्रसारित करे जिससे कि जनता में कानून का भय व्याप्त हो और वे डॉक्टर को अनुचित दबाव डालकर गलत कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करें।

4. पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट और रूल्स का प्रदर्शन करना :-

इस कानून के रूल्स की धारा 17(2) के अनुसार प्रत्येक सोनोग्राफी केन्द्र पर इस कानून और इसके अन्तर्गत बनाए गए रूल्स की एक प्रति उपलब्ध होना अनिवार्य है।

सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता प्रत्येक सेन्टर पर जाकर इस बात की जाँच कर सकते हैं कि क्या इन सोनोग्राफी सेन्टरों पर इस कानून और नवीनतम रूल्स की एक प्रति देखने के लिए उपलब्ध है।

सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम

पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट के अंतर्गत डॉक्टर, अस्पताल, सोनोग्राफी सेंटर आदि अपना रजिस्ट्रेशन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय से करवाते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद कोई भी इस बात की जाँच-पड़ताल नहीं करता है कि ये सोनोग्राफी करने के रजिस्टर्ड सेंटर चल रहे हैं अथवा बंद हो गए हैं। यदि ये अस्पताल, सोनोग्राफी सेंटर बंद हो गए हैं या किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं तो इन पर क्या रोकथाम करना जरूरी है, जिससे कि इनके पास जो सोनोग्राफी मशीनें हैं, उनका दुरुपयोग होने से रोका जा सके। एक सर्वे करने पर पाया गया कि लगभग 10 प्रतिशत सोनोग्राफी सेंटर बंद हो गए हैं या शिफ्ट हो गए हैं। इनकी सोनोग्राफी मशीनों का क्या हुआ ? इसका किसी को कुछ भी पता नहीं है।